

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 120/2020-21

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
24.11.2020	आवेदक /आवेदिका शुरु तैसूम, पति-नन्दू तैसूम, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-पोटका, हो साई, चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-पोटका, थाना नं०-69, खाता नं०-270, खेसरा नं०-390, रकवा-0.17.129 ए० भूमि क्रेता बेलमती जामुदा, पति-सिनू जामुदा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-पोटका, हो साई, चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>पोटका</td><td>69</td><td>-</td><td>270</td><td>390</td><td>0.07.129 ए०</td></tr></table> आवेदक ईलाज हेतु 50,000/- (पचास हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.17.129 ए० को कुल कीमत 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 10.12.2020 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 11.12.2020 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	पोटका	69	-	270	390	0.07.129 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
पोटका	69	-	270	390	0.07.129 ए०									

24/11/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

24/12/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।